न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद
(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 11/2018
जीसीएमएस नः– 2018/00043
दायर दिनांक :– 19/11/2018
निर्णय दिनांक :– 04/09/2023

अनवान

1. श्री विरमसिंह पिता चतराजी जाति कडेचा राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी–उखडबडली रिछेड, तहसील गढबोर, जिला राजसमन्द
2. श्री भंवरसिंह पिता गुलाबसिंह जाति दसाणा राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी– सागोरिया रीछेड, तहसील गढबोर, जिला राजसमन्द

–अपीलांट

बनाम

1 पटवारी , पटवार हल्का रीछेड, तहसील गढबोर
2 भू अभि0 निरीक्षक, रीछेड, तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गढबोर जिला राजसमन्द

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गढबोर नामान्तकरण संख्या 4099 निर्णय दिनांक 28.12.2018

उपस्थित :–
1–श्री अशोक सोनी , अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 04.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गढबोर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4099 दिनांक 07.05.2018 विधि एवं न्याय सिद्वान्तों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। राजस्व ग्राम रीछेड की **आराजी संख्या 2093/13 रकबा 01–04–00 (एक बीघा चार बीस्वा), आराजी संख्या 2093/1 रकबा 0–11–00 (ग्यारह बिस्वा), आराजी संख्या 2093/6 रकबा 1–03–00 (एक बीघा तीन बिस्वा) कुल किता 3 कुल रकबा 2–18–00 (दो बीघा अठारह बिस्वा) भूमि सुखलाल** पिता उदयरामजी महाजन निवासी रीछेड़ के नाम दर्ज थी, अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.06.2003 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सुखलाल पिता उदयरामजी महाजन निवासी रीछड़ से उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 1 (एक) व 1/2 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 2 (दो) द्वारा क्रय कर विक्रय पत्र का पंजियन करवाया था। तब से अपीलान्ट उक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे। तहसीलदार गढ़बोर द्वारा दिनांक 07.05.2018 को

नामान्तरण संख्या 4099 में किये गये निर्णय से व्यथित होकर उक्त निर्णय को निरस्त करवाये जाने हेतु अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4099 निर्णय दिनांक 07.05.2018 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। राजस्व ग्राम रीछेड़, पटवार हल्का रीछेड़, तहसील गढ़बोर की आराजी संख्या 2093/13 रकबा 01–04–00 (एक बीघा चार बीस्वा), आराजी संख्या 2093/1 रकबा 0–11–00 (ग्यारह बिस्वा), आराजी संख्या 2093/6 रकबा 1–03–00 (एक बीघा तीन बिस्वा) कुल किता 3 कुल रकबा 2–18–00 (दो बीघा अठारह बिस्वा) भूमि सुखलाल पिता उदयरामजी महाजन निवासी रीछेड़ के नाम दर्ज थी। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.06.2003 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सुखलाल पिता उदयरामजी महाजन निवासी रीछेड़ से उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 1 (एक) व 1/2 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 2 (दो) द्वारा क्रय कर विक्रय पत्र का पंजियन करवाया था। तब से अपीलान्ट उक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे। विक्रय पत्र का पंजियन करवाने के बाद अपीलान्ट ने उक्त वर्णित भूमि का अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाने हेतु एक प्रति तत्कालीन हल्का पटवारी को दी, जिस पर तत्कालिन पटवारी द्वारा नजरअंदाज कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण नहीं भरा जिससे उक्त भूमियाँ सुखलाल पिता उदयरामजी महाजन के नाम पर ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज रह गई। राजस्व गाँव रीछेड़, पटवार हल्का रीछेड़ की जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 तक की जमाबंदी में अपील में वर्णित, आराजी संख्या 2093/13 रकबा 1–04–00(एक बीघा चार बिस्वा) के शुद्धी पत्र से नये आराजी नम्बर 6739/2093 रकबा 1–04–00(एक बीघा चार बिस्वा) बने, आराजी संख्या 2093/1 रकबा 0–11–00(ग्यारह बिस्वा) बने, तथा आराजी संख्या 2093/6 रकबा 01–03–00(एक बीघा तीन बिस्वा) के नये आराजी नम्बर 6733/2093 रकबा 01–03–00(एक बीघा तीन बिस्वा) बने जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज है। अपीलान्ट जब उक्त भूमि के अपने खाते की नकल पटवारी के पास प्राप्त करने गये तब उनको पटवारी साहब ने कहा कि तत्कालिन पटवारी ने आपका नामान्तरकरण नहीं खोला था, तब अपीलान्ट ने पुनः उक्त भूमि का अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाने हेतु विक्रय पत्र की प्रति पटवारी साहब को दी तब विक्रय पत्र पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1(एक) ने राजस्व रेकार्ड की जाँच कर नामान्तरकरण संख्या 4099 भरा गया। उक्त नामान्तरकरण पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2(दो) भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र रीछेड़ ने बिना दस्तावेज एवं बिना राजस्व रेकर्ड की जाँच किये अपनी रिपोर्ट कर दी तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2(दो) की रिपोर्ट को आधार मानकर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3(तीन) ने भी बिना दस्तावेज एवं बिना राजस्व रेकर्ड की जाँच किये तथा नामान्तरकरण में दर्ज नम्बरो की

बिना जाँच किये उक्त नामान्तरकरण संख्या 4099 में दिनांक 07.05.2018 को उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया, जो निरस्त होने योग्य निर्णय है। उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3(तीन) द्वारा निर्णित किया जाना था लेकिन रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3(तीन) ने बिना दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड की जाँच किये जल्दबाजी में उक्त नामान्तरकरण को खारीज करने का आदेश जारी करने की भारी कानूनी भूल की हैं, जो पूर्ण रूप से गलत हैं। उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1(एक) के द्वारा भरा गया उसी अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित होना था लेकिन रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3(तीन) ने बिना दिमाग लगाये सिर्फ रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2(दो) की टिप्पणी को आधार मानते हुए उक्त नामान्तरकरण को खारीज करने की भारी भूल की है, जिससे उक्त नामान्तरकरण में दिनांक 07.05.2018 को हुआ आदेश निरस्त होने योग्य हैं।

राजकीय अधिवक्ता की ओर से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रकरण में बहस , विधिक नजीरों, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया, दस्तावेजों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रथमदृष्टया उक्त नामान्तरण तहसीलदार गढबोर द्वारा भु अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार आराजी नम्बर का मिलान नही होने से खारिज किया, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही है, अतः उक्त अपील सारहीन होने से अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

04/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 कौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

04/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द